न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक सुराणा, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री जोनाराम पुत्र स्व. श्री हमीरा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 2. श्री बाबुराम पुत्र स्व. श्री हमीरा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 3. श्री मीठालाल पुत्र स्व. श्री हमीरा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 4. श्री रूपाराम पुत्र स्व. श्री हमीरा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 5. श्री सोमाराम पुत्र स्व. श्री हमीरा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 6. श्री भैरा पुत्र स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिल सिरोही। 7. श्री सका पुत्र स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 8. गीता पुत्री स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 9. चंपी पुत्री स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 10. पूनकी पुत्री स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 11. पारती पुत्री स्व. श्री भूरिया, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही।		1. श्रीमती इन्द्रा पत्नि श्री लाला, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़ , जिला सिरोही। 2. श्री लाला पुत्र श्री रूपा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 3. श्री सोमा पुत्र श्री रूपा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 4. श्री मंशा पुत्र श्री वाला, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 5. श्री धना पुत्र श्री वाला, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 6 श्री बाबु पुत्र श्री भारमा, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 7. श्री कीका पुत्र श्री लाला, आयु बालिग, जाति ग्रासीया, निवासी उपलागढ़, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955

राजस्व वाद संख्या 54 / 2021

दिनांक 02.12.2021

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.04.26 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,209 राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम,19[illegible] तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम उपलागढ़, [illegible]ार क्षेत्र उपलागढ़, [illegible]भिलेख निरीक्षक निचलागढ, तहसील आबूरोड़ में वादीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की निम्न वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि स्थित है, जिस पर वे अपने परिवार सहित कदीम से शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा एवं ऐतराज के कब्जे काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है –

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	भूमि वर्गीकरण
479	0.5690	बारानी – 2
480	0.1897	बारानी – 2
481	0.0253	गैर मुमकीन मकान
482	0.2782	बारानी – 2
490	0.4552	बारानी – 2
603	0.7334	बारानी – 2
616	0.0379	बारानी – 2
कुल कीता 07	कुल क्षेत्रफल 2.2887 हैक्टेयर अर्थात 09 बीघा 01 बिस्वा	

माह जुलाई 2020 में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने पति प्रतिवादी संख्या 02 एवं अन्य कुटुम्बीयों प्रतिवादी संख्या 03 से 07 की सहायता से वादीगण से लड़ाई झगड़ा कर उनको डरा धमका कर उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया तथा वादीगण ने अपना मिथ्या साबित करने के आशय से ग्राम विकास अधिकारी से मिलीभगत कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम से मिथ्या व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर राशि स्वीकृत करवाकर पक्के मकान का निर्माण कर लिया है। इसलिए वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 प्रश्नगत आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण को पुनः कब्ज दिलवाये जाने की डिक्री जारी करवाने हेतु निवेदन किया किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 02.12.2021 को '' प्रशासन गावो के संग अभियान 2021'' कैम्प निचलागढ़ में रखी गई। वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण बाद तामिली अनुपस्थित।

हमने एक पक्षीय बहस सुनी। वादीगण प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम उपलागढ़, पटवार क्षेत्र उपलागढ़, भू– अभिलेख निरीक्षक निचलागढ़, तहसील आबूरोड़ के खसरा नंबर 479, 480, 481, 482, 490, 603, 616 कुल क्षेत्रफल 2.2887 हैक्टयर अर्थात 09 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। तथा वादीगण की उक्त प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम उपलागढ़, पटवार क्षेत्र उपलागढ़, भू– अभिलेख निरीक्षक निचलागढ़, तहसील आबूरोड़ के खसरा नंबर 479, 480, 481, 482, 490, 603, 616 कुल क्षेत्रफल 2.2887 हैक्टेयर अर्थात 09 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि पर से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को बेदखल कर वादीगण को पुनः कब्जा दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnishak Kataria
Date: 2022.04.26 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)